

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 3524

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तपोषण

3524. श्री अनुभव मोहंती :

श्री चंद्र शेखर साहू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जिनका केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता था, अब इसे घटाकर 60 प्रतिशत किया गया है और 40 प्रतिशत हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों को वहन करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय योजनाओं के लिए राज्य निधि के विपथन के राज्य प्रायोजित योजनाओं के प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि राज्य सरकारों के पास धनराशि सीमित होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ऐसी योजनाओं के 100 प्रतिशत वित्तपोषण को पुनः आरंभ करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार फैनी प्रभावित ओडिशा सहित राज्य सरकारों के वित्तीय भार को किस प्रकार कम करने में मदद करेगी?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): मुख्य मंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के आधार पर, भारत सरकार ने मौजूदा 66 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को 28 स्कीमों में पुनर्गठित किया है और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन किया है जिसकी सूचना नीति आयोग द्वारा दिनांक 17.08.2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा दी गई थी। मौजूदा 66 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को 28 स्कीमों में पुनर्गठित किया गया है, जिन्हें व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नामतः (i) अति महत्वपूर्ण स्कीमों (संख्या 6), (ii) महत्वपूर्ण स्कीमों (संख्या 22)। पुनर्गठित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार है: (i) अति महत्वपूर्ण स्कीमों (संख्या 6): तत्कालीन वित्तपोषण पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं। (ii) महत्वपूर्ण स्कीमों (संख्या 22): 8 पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के हिमालयी राज्यों का 90% व्यय केन्द्र द्वारा और शेष 10% राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। शेष राज्यों के लिए - केन्द्र और राज्य में विभाजन का अनुपात 60:40 है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, राज्यों का अंतरण 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है जिससे केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास संसाधन उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की वित्तपोषण पद्धति में संशोधन करने के पश्चात् प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में उपलब्ध फ्लेक्सी निधि के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। यह राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और नवाचार की शुरूआत करने में सक्षम बनाने के लिए

किया गया था। पिछले पांच वर्षों में 28 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार के व्यय बजट में परिव्यय में दर्शाए गए रूझान 2015-16 के वास्तविक की तुलना में 2019-20 बजट प्राक्कलन (अंतिम) में लगभग 60% की वृद्धि दर्शाते हैं:

(करोड़ रुपए)

| स्कीम का वर्ग | वास्तविक 2015-16 | वास्तविक 2016-17 | वास्तविक 2017-18 | सं.प्रा. 2018-19 | ब.प्रा. (अंतिम) 2019-20 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम | 2,03,740 | 2,41,296 | 2,85,448 | 3,04,849 | 3,31,610 |

(ड): वर्ष 2019-20 के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केन्द्रीय हिस्से के तहत ओडिशा सरकार को 340.875 करोड़ रुपए की पहली किस्त और 211.125 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। ओडिशा सरकार को 'फैनी' चक्रवात के कारण चालू वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 788.875 करोड़ रुपए का लेखागत भुगतान जारी कर दिया गया है।
